असगर | मु. अंगूरी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
17.12.20	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत है। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की दफा-5 के साथ प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना गया। अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील का मुख्य बिन्दु यह है कि "क्या अपील ग्राह्य योग्य है अथवा नहीं" अतः उक्त बिन्दु पर अपीलांट अभिभाषक को सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 18.12.20 को पेश हो।	17/12
18/12/20	पत्रावली पेश हुई। अपील के ग्राह्यता बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 28/12/20 को पेश हो।	
28/12/20	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट वास्ते बहस दिनांक 5.1.21 को पेश हो।	
05/1/21	पत्रावली वास्ते सुनवाई ग्राह्यता बिन्दु हेतु पेश हुई। अपीलांट अभिभाषक को सुना गया। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 7.1.2021 को पेश हो।	
07.01.2021	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अपील के तथ्यों तथा तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया गया। अपीलांट अभिभाषक की बहस पर गौर किया तथा CPC के प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	अपीलांट अभिभाषक का तर्क बहस यह था कि तहत अदालत में विचाराधीन पत्रावली में अधिकांश प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी थी तथा न्यायालय में अनुपस्थित थे परन्तु एक या दो प्रतिवादीगण की ही तामील नहीं होने पर तहत अदालत ने यह अपील CPC के प्रावधानों O17 R3 के तहत खारिज की इस प्रावधान के तहत यह अपील इस न्यायालय में Maintainable है अत: अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आदेश निरस्त किया जावे। अपीलांट अभिभाषक ने कानूनी नजीर AIR 1980 Calcutta 148, RRD 2007 Page 75 की नजीर भी पेश की। इस आधार पर अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि O17 R3 में खारिज वाद की अपील चल सकती है।	
	अपीलांट की नजीरों के पठन पश्चात CPC के प्रावधान O17 R3 का अवलोकन किया। यहां यह पाया जाता है कि तहत अदालत का निर्णय O17 R3 के तहत पारित नहीं है अत: इस बिन्दु पर यह अपील इस न्यायालय में अपील योग्य नहीं है। जहां तक तहत अदालत के निर्णय दिनांक 17.11.11 का विषय है इसमें कहीं भी O17 R3 के प्रावधानों का हवाला नहीं है बल्कि यह आदेश O9 R2,5 के प्रावधानों के तहत पारित है परन्तु O9 R5 के प्रावधान लागू भी होता है यहां समन पहले जारी किये थे परन्तु पुन: समन पेश नहीं करने पर यह वाद खारिज किया है। यदि अपीलांट तहत अदालत को यह समाधान करा	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	का कारण बताते है कि किन्ही कारणों से वह प्रतिवादी को तामील कराने में असमर्थ रहा है तो न्यायालय नया वाद की अनुमति भी दे सकते है अत: ऐसी स्थिति में अपीलांट को तहत अदालत में ही नया वाद पेश करने की कार्यवाही करनी चाहिए।	
	अतः अपील अपीलांट order R3 मे Cover नहीं होने तथा O9 R5 के तहत आने से यह अपील काबिल पर ग्राह्य नहीं है। या तो अपीलांट तहत अदालत के आदेश का रिवीजन करें या तहत अदालत को नया वाद लाने हेतु प्रार्थना पत्र करावें।	
	अतः अपील अपीलांट की स्तर पर विचार करने ग्राह्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय खुला इजलास 07.1.2021 को सुनाया गया।	
	07.1.2021 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	